

## अन्तिम डिक्री व मुकदमें इब्तादाई

(ऑर्डर 20, रूल 6-7 जब्ता दावानो)

### (Civil Procedure code, Appendix 'D'-1)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम बीदासर व इजलास श्री श्योराम वर्मा, आर.ए.एस.  
मोहनी देवी बनाम उच्छवकंवर आदि  
दावा अक्स में संशोधन बाबत।

मुकदमा नं. 33/2019

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रु-ब-रु.....हाजरी श्री मनोज गोदारा वकील वास्ते वादीनी मिनजानिब मुद्ई व पेरोकार राज मिनजानिब मुदापलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व अन्तिम डिक्री दी जाती है कि वादगत भूमि वाके रोही ग्राम बाढसर के खसरा संख्या 718/131 तादादी 0.2529 हेक्टेयर भूमि की पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 20.07.2005 की पालना में जो तरमीम हल्का पटवारी द्वारा की गई थी, वो तरमीम पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 20.07.2005 में वर्णित आसापासा के अनुसार नहीं होने के कारण उसको निरस्त किया जाता है तथा पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 20.07.2005 में वर्णित आसापासा के अनुसार पुनः राजस्व अक्स में तरमीम करने का आदेश तहसीलदार बीदासर को दिया जाता है। खर्चा वादीनी स्वयं वहन करें। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो। पालनार्थ तहसीलदार बीदासर को लिखा जावे।

चीज.....मुबलिंग.....बाबत.....खर्चा इस मुकदमे के मय सुद व शरह .....फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलमाबी तक .....को अदा करें।

बसबत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 26.7.2019

दस्तखत .....  
उपखण्ड अधिकारी  
ओहदा ..... बीदासर



मुद्ई	मुद्दयलाई	रुपया	पै.
स्टाम्प अर्जीदावा	स्टाम्प बकालतनामा		
स्टाम्प वकीलतनामा	स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत	महनताना वकील पर		
महनताना वकील	खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान	फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर	बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा	मुतफरिक		
मुतफरिक			
मीजान			

नोट : खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिक्री के जरिये दिलाया गया हो या नहीं दर्ज करना चाहिये।

.....  
उपखण्ड अधिकारी  
बीदासर